# फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

परमेश्वर पिता हरचन्दा जाति मीणा आयु बालिग निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला– शाहपुरा राज.

बनाम

गजानन्द पिता मोती जाति बैरागी आयु बालिग निवासी कुराडिया तहसील जहाजपुर आदि

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 35/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|---|---|---|
| 13.05.2024 | प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 1204/1 रकबा 0.1295 हैंक्टेयर , 1240/1 रकबा 0.1700 हैंक्टेयर, 1240/3 रकबा 0.0567 हैंक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2073 से 2076** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं ।<br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम कुराडिया पटवार हल्का कुराडिया तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा की आराजी नम्बर 1204/1 रकबा 0.1295 हैंक्टेयर , 1240/1 रकबा 0.1700 हैंक्टेयर, 1240/3 रकबा 0.0567 हैंक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं** । पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।<br>आदेश आज दिनांक .05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>**जहाजपुर(भीलवाडा)** | |

Scanned with CamScanner